Presented on:–01.04.1970

Registered on :–01.04.1970

Decided on:–05.02.2024

Duration:–Years 53, Months 08, Days 04

न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०) प्रथम , बागपत।

पीठासीन अधिकारीः शिवम द्विवेदी, (उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP3247

UPBG060000051970

Original Suit/1200225/1970

मुकीम खां (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम कृष्णदत्त आदि

दिनांकः–05.02.2024

1– मुकीम खाँ **(मृतक दौरान वाद)** पिसर अशरफ खां साकिन मौजा बरनावा बहैसियत मुतवल्ली वक्फ कब्रिस्तान टीला दरगाह मकदूम शाह विलायत साहब वाके कस्बा बरनावा, तहसील सरधना, जिला मेरठ (वर्तमान बागपत)।

1/1– मजहर अहमद खाँ **(मृतक दौरान वाद)** पिसर मौ० नसीर साहिब साकिन मौजा शेखपुरा तहसील सरधना।

1/1/1– खालिद खाँ पुत्र फैजुल्ला खाँ निवासी कस्बा व डाकघर बरनावा, तहसील बडौत, जनपद बागपत। ....**वादी**।

बनाम

1– कृष्णदत्त उर्फ स्वामी जी वल्द नामालूम साकिन हाल बरनावा, तहसील सरधना जिला मेरठ **(मृतक दौरान वाद)**।

1/1– जयकिशन **(मृतक दौरान वाद)** पिसर नामालूम खुद साख्ता प्रबंधक गांधी धाम समिति, बरनावा।

1/1/1– जयवीर त्यागी आयु लगभग 36 वर्ष पुत्र जसवन्त निवासी ग्राम धुम्मी धनौरा, तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद।

2– जगमोहन **(मृतक दौरान वाद)** पिसर दीपचन्द साकिन बरनावा, तहसील सरधना, जिला मेरठ बजाते खुद व बहैसियत नुमाइन्दा हिन्दू बिरादरी इलाका बरनावा, तहसील सरधना, जिला मेरठ।

2/1– आदेश आयु करीब 34 वर्ष पुत्र जगमोहन।

Digitally signed by shivam dwivedi
Date: 2024.02.05 16:18:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– गाँधी धाम समिति लाक्षागृह बरनावा बजरिये छिद्दा सिंह पिसर नामालूम, सेक्रेट्री गाँधी धाम समिति साकिन मौजा हर्राह, तहसील सरधना, जिला मेरठ।

4– राजपाल सिंह पुत्र हरवंश सिंह निवासी गाँव नारंगपुर परगना तहसील व जिला मेरठ।

5– राजेन्द्र पुत्र अजबसिंह निवासी मौजा करनावल तहसील सरधना, जिला मेरठ।

6– ईश्वर सिंह पुत्र रिसाल निवासी मौजा करनावल, तहसील सरधना, जिला मेरठ।

7– लहरी सिंह **(मृतक दौरान वाद)** पुत्र लिखीराम निवासी गॉव बरनावा, तहसील बडौत, जनपद बागपत।

8– राजपाल सिंह त्यागी पुत्र रविशंकर निवासी पंचशील कॉलोनी मेरठ, जनपद मेरठ।

9– निरंजन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी ग्राम कैथवाडी, तहसील व जिला मेरठ।

10– कन्हैया **(मृतक दौरान वाद)** पुत्र बारू निवासी गाँव बरनावा, तहसील बडौत, जिला बागपत।

10/1– श्रीमती चन्दो पत्नी चरणसिंह पुत्र स्व० कन्हैया, निवासी गाँव कालियागढी, जिला मेरठ।

10/2– श्रीमती धनवन्तरी पत्नी महावीर पुत्री कन्हैया निवासी गांव मनफोडा, तहसील जानसठ, जिला मुजफफरनगर।

10/3– श्रीमती रज्जो पत्नी सजेन्द्र पुत्री स्व० कन्हैया, निवासी गांव कुलहोपुर, तहसील जानसठ, जिला मुजफफरनगर।

10/4– श्रीमती वीरो पत्नी धर्मसिंह पुत्री स्व० कन्हैया, निवासी ग्राम घाट पाचली, तहसील व जिला मेरठ।

10/5– जयचन्द **(मृतक दौरान वाद)** पुत्र स्व० कन्हैया निवासी गाँव बरनावा, तहसील बडौत, जिला बागपत।

10/5/1– श्रीमती दयावती आयु करीब 70 वर्ष पत्नी स्व० जयचन्द।

10/5/2– नरेश आयु करीब 40 वर्ष।

10/5/3– रजनेश आयु करीब 44 वर्ष –पुत्रगण स्व० जयचन्द।

11– चरण सिंह **(मृतक दौरान वाद)** पुत्र नामालूम निवासी गांव बरनावा, तहसील बडौत, जिला बागपत। .... **प्रतिवादीगण।**

निर्णय

1. वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित खसरा नंबर 3377, रकबा 36 बीघे 07 बिस्वे 8 बिस्वांसी पर दखल वाकई व कामिल तथा हुक्म इम्तनाई दवामी की डिक्री के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. वादी द्वारा वादपत्र में कथन संक्षेप में इस प्रकार किया गया है कि कस्बा बरनावा में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान खसरा नंबर 3377 जिसका अब रकबा 36 बीघे 6 बिस्से 8 बिस्वांसी रह गया है। यह कब्रिस्तान एक बहुत ऊंचे टीले पर स्थित है। जहां तकरीबन छः सौ साल पहले उस वक्त के एक बहुत बड़े बुजूर्ग हजरत शेख बदरूदीन साहब रहमतुल्ला अलेह ने अपनी जिन्दगी में इबादत की और फिर वहीं दफन

हुये। इन बुजूर्ग का एक बहुत शानदार पुराना मकबरा बना है, जिसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा अहाता है और उसके करीब एक बहुत बडा चबूतरा बतौर मस्जिद बना हुआ है। इन बुजुर्ग के इस जगह दफन होने के बाद इस कस्बे और आसपास के इलाके के लोग अकीदतन इस मजार के करीब दफन होना शुरू हुये। इस तरह यहां एक कब्रिस्तान की इब्तदा हुयी और शाहने वक्त (बादशाह) ने भी इस टीले और आसपास की जगह को कब्रिस्तान के लिये वक्फ कर दिया और इस तरह सैकडो बरस से यहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान चला आता है। इस खसरा नम्बर के कोने–कोने में हजारो पुख्ता व खाम कब्रे मौजूद हैं। यह कब्रिस्तान इन हालात की वजह से कब्रिस्तान टीला दरगाह मकदूम शाह विलायत साहब के नाम से मशहूर हो गया। कागजात सरकारी में यह कब्रिस्तान दर्ज चला आता है और सैकड़ो बरस से बतौर वक्फ बराये कब्रिस्तान इस्तेमाल होते चले आने के बाइस भी वक्फ अल्ल अल्लाह है और सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड वक्फ यू०पी० में बतौर वक्फ दर्ज व रजिस्टर्ड है। मुदई इसका मुतवल्ली है और उसको वक्फ की जानिब से मुकदमा दायर करने का अख्तयार है। इस मुकदमे के मुदई व कब्रिस्तान मुतदवया के मुतवल्ली मुकीम खाँ साहब का इन्तकाल दौरान मुकदमा हो गया और अब सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ऑफ वक्फ ने मुझमजहर अहमद को इस वक्फ नंबर 583 मेरठ का मुतवल्ली अपने हुक्म मविरकी 04.04.1987 से मुकर्रर किया है और इस तरह अब मैं मुकदमे को मुकीम खाँ साहब की जगह आइन्दा चलाने का मजाज हूँ। प्रतिवादी नंबर 01 कहीं बाहर का रहने वाला है और कुछ दिन से वह बरनावा में आ गया है और उसने आकर यहाँ के मुकामी हिन्दू हजरात को यह उभारना शुरू किया है कि ये कब्रिस्तान हिन्दूओं के किसी बहुत पुराने तीर्थ के ऊपर बनाया गया था इसलिये इस कब्रिस्तान को खत्म करके फिर से इसको हिन्दूओं का तीर्थ बना देना चाहिये। प्रतिवादी कृष्णदत्त का इन्तकाल दौरान मुकदमा हो जाने के बाद उसका कोई कानूनी वारिस या जानशीन नहीं है लेकिन अदालत हाजा के हुकम मुबारिका 19.11.1994 व अदालत ऐडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के हुकम मुबारिका 16.05.1997 की तामील में वादी ने अपने कानूनी हकूक को महफूज रखते हुए अर्जी दावा के उनमान में प्रतिवादी कृष्णदत्त की जगह जयकिशन प्रतिवादी को बतौर प्रतिवादी संख्या–1/1 का इजाफा किया है। इस सिलसिले में फरवरी सन् 1966 में प्रतिवादी नंबर 1 ने कब्रिस्तान के दक्षिणी हिस्से में एक गाँधी जी की मूर्ति नस्व कर दी। इस मूर्ति की जगह को नक्शा नजरी मुन्सलका अरजी दावे में हरूफ (अक्षर)–ए–जाहिर किया गया है। मूर्ति के पूरब में पुख्ता कब्रों को तोड़कर एक हस्थ पहलू जगह हवन के लिये बना दी। इस जगह को नक्शा में अक्षर बी से जाहिर किया गया है और फिर रफता–रफता इस जगह प्रतिवादी नंबर 1 ने हवन करना शुरू कर दिया। मूर्ति के पश्चिम में प्रतिवादी नंबर–1 ने प्रतिवादी नंबर 2 और दूसरे अश्खस की मदद से एक पुख्ता इमारत तकरीबन 60 फीट लम्बी और 24 फीट चौड़ी जगह में बना ली। इस इमारत को नक्शे में अक्षर सी से जाहिर किया गया है और फिर इस इमारत के पहाड़ में एक झोपडी डाल ली जिसको नक्शे में अक्षर डी से दिखाया गया है जिसकी दीवारें रफता–रफता पुख्ता कर दी गयी और इस झोपडी से भी पहाड़ में एक छोटा पुख्ता कमरा तामीर कर लिया है जो नक्शे में अक्षर ई से दिखाया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 ने हवन की जगह से पहाड और पूरब की तरफ एक छोटी सी कोठरी जिसको एफ से नक्शे में दिखाया गया है, भी बना ली और उसके करीब एक नल लगा लिया। इस वाद के वादी व कब्रिस्तान विवादित के मुतवल्ली मजहर अहमद खाँ का स्वर्गवास

दौरान मुकदमा हो गया है और अब सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ ने मुझ खालिद खाँ को इस वक्फ नम्बर 583 मेरठ का मुतवल्ली अपने आदेश दिनांकित 02.08.2003 द्वारा नियुक्त किया है तथा इस तरह अब मैं मुकदमे को मजहर अहमद खाँ की जगह आइन्दा आगे चलाने का अधिकारी हूँ। प्रतिवादी नंबर 1 से इस फैलबेजा के मुतालिक बहुतेरा कहा गया और जिला हुक्काम को भी कितनी ही मरतबा तवज्जे दिलायी गयी लेकिन चूँकि हुक्काम जिला प्रतिवादी नंबर 1 के प्रोपेगेन्डा से मुतासिर (प्रभावित) थे इसलिये उन्होंने कोई सुनवायी नहीं की। प्रतिवादी संख्या–10 कन्हैया का दौरान वाद स्वर्गवास हो गया है तथा प्रतिवादी संख्या 10/1 ता 10/5 को कन्हैया का जायज वारिस होने तथा वाद जारी रखने का कारण होने से पक्षकार वाद बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या–1/1 व प्रतिवादी संख्या–2 की मृत्यु वाद के लम्बन काल में हो गयी है तथा प्रतिवादी संख्या–1/1/1 को गाँधी धाम समिति का प्रबन्धक होने व प्रतिवादी संख्या–1/1 का विधिक वारिस होने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या–2/1 को हिन्दू बिरादरी का प्रतिनिधि होने व उनके विरूद्ध वाद कारण जारी रहने के कारण इन्हे पक्षकार वाद बनाया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ने मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद इस कब्रिस्तान के शुमाली (उत्तरी) इलाके में इस मौके से फायदा उठाते हुये ईंटो का एक दरवाजा बना लिया और उस पर लाल बहादुर शास्त्री द्वार लिख दिया। इस दरवाजे की जगह को नक्शे में अक्षर जी से दिखाया गया है। प्रतिवादी ने कुछ अरसे से पुरानी कब्रों को तुड़वाने और पुख्ता कब्रों के निशानात को खत्म कराने का काम अपने जिम्मे ले रखा है और इस वक्त सैक्ड़ो पुरानी पुख्ता कब्रों के तावीज और चबूतरे तोड़े जा चुके हैं। प्रतिवादी नंबर 1 का इरादा इस कब्रिस्तान में बनी हुयी पुख्ता कब्रों और मखदूम बदरूदीन रहमतुल्ला अलेह के पुख्ता आलीशान मकबरे और उससे मुतालिका इमारत और मजहार से शुमाल में बने हुये मस्जिद के पुख्ता चबूतरे के निशानात को खत्म करना है। प्रतिवादी नंबर 1 ने तकरीबन दो माह हुये इस कब्रिस्तान में बिजली के खम्बे लाकर बिजली भी ले ली है और गुजिस्ता दस बारह दिन से पुख्ता कब्रो को तोड़कर उनकी जगह एक पक्का कमरा बनाना शुरू कर रखा है, जिसको नकशे में अक्षर एच से दिखाया गया है और इस कमरे के आस पास ही कब्रो के तावीज भी तोड़ दिये। ऐसा मालूम होता कि प्रतिवादी नंबर 1 का इरादा इस कमरे से मिले हुये शाही जमाने के बने हुये पुख्ता कुंये पर ट्यूब वेल लगाना है ताकि कब्रिस्तान की आराजी में कब्रो के निशानात साफ करके खेती की जा सके और कब्रिस्तान की नौइयत ही तबदील कर दी जाये। मौके पर जो कुछ कार्यवाही मदाखलत कब्रिस्तान मुतदावया में हो रही है, वह सब प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की जानिब और उनके इशारे से हो रही है लेकिन चूँकि इन प्रतिवादी का कहना है कि वह यह कार्यवाही प्रतिवादी नंबर 3 की तरफ से कर रहे हैं इसलिये बरफा हुज्जत आइन्दा उसको भी फरीक मुकदमा बनाया गया है और अगर राय अदालत में कब्रिस्तान मुतदावया में मदाखलत प्रतिवादी नंबर 3 की जानिब से भी की जानी साबित हो तो उसके खिलाफ भी ख्वास्ता दादरसी अता फरमायी जाये। प्रतिवादीगण ने बावजूद हुकम इम्तनाई आरजी के दौरान मुकदमा ट्यूब वेल लगा लिया है और कब्रिस्तान मे बुलडोजर चलवाकर बेशुमार कब्रो को बिस्मार कर दिया है और दरगाह के अहाते के पूरब, पूरब दक्षिण और दक्षिण में काफी रकबा में काश्त शुरू कर दी है और कुछ मुजीद तामीरात भी कब्रिस्तान मुतदावया में कर ली है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने मेरठ के अफसरान पर खुद को एक मजहबी व रुहानी शख्सियत जाहिर करते हुये इस हद तक

असर कायम कर लिया है कि वह इसके हद दर्जे अकीदतमंद हो गये हैं और उसके मकसद को पूरा करने के लिये उन्होंने कागजात माल में कब्रिस्तान मुतदावयन के छः बीघे सात बिस्वे 8 बिस्वांसी पुख्ता रकबे को बजाये दरगाहर के *"लाखा मंडप"* बजाब्ता तौर पर दर्ज कर दिया है। इस साजिश तब्दीली से कब्ल वक्फ के मुतवल्ली या सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनउ या दरगाह से मुतालिक किसी भी फर्द को अफसरान माल ने कोई भी इत्तला नहीं होने दी और बाला ही बाला खुफया व फर्जी तौर पर 1964, 65 में यह सब कार्यवाही अमल में आयी। प्रतिवादीगण की तरफ से इस तब्दीली के मुतालिक कागजात दाखिल होने पर जब इस तब्दीली का इल्म मुद्दई को हुआ तो इसने महकमा माल में इस बैजाब्ता कार्यवाही को खत्म करने के लिये चाराजोई की लेकिन अफसरान महकमा माल प्रतिवादी नम्बर–1 के असर के वाईस इस गलत तबदीली को ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर (Administrative Order) करार देते हुये उसको दुरूस्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। बहर कैफ इस बेजाब्ता तबदीली इंद्राज का कोई असर वक्फ के मफाद पर नहीं पड़ता और वक्फ के मुकाबले पर यह तब्दीली कलेदम व बेअसर है। प्रतिवादी नंबर 2 इस कस्बे का बाअसर आदमी है और उसने आस–पास के हिन्दू हजरात का गिरोह बना रखा है और उन लोगो को इस पर आमादा कर रखा है कि किसी तरह से इस कब्रिस्तान को खत्म कर दिया जाये। ऐसे आदमियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और इन सब को प्रतिवादीगण के तौर पर नालिश में शामिल किया जाना मुमकिन नहीं है इसलिये इस इलाके के तमाम हिन्दू लोगों के खिलाफ यह दावा प्रतिवादी नंबर 2 की नुमाइन्दगी में दायर किया जा रहा है जिसके लिये ऑर्डर । रूल 8 जा०दीवानी की इजाजत की दरखास्त अलहदा पेश की जा रही है। बिनाये मुखासमत नालिश हाजा इब्तदाई तौर पर शुरू सन् 1966 जब गाँधी जी की मूर्ति इस कब्रिस्तान में खड़ी की गयी और बादहू सन् 1967 ता 1969 अहयाम तामीर किये जाने हवन की जगह व कोठे जात व दरवाजा व करने तोडफोड़ कबूर व शुरू सन् 1970 अइयाम गाडने खंबे बिजली व बादहू। मार्च सन् 1970 जब कुंये के करीब कब्रों को तोड़ा गया व नई तामीर कोठा शुरू किया गया से बमुकाम बरनावा अन्दर हदूद इलाका अदालत हाजा पैदा है और अदालत को अख्तयार समाअत नालिश हाजा हासिल है। मुद्दई अदालत से इन जगहो पर जहाँ प्रतिवादी नंबर 1 ने मजकूरा बाला तामीर कर ली है या जहाँ उसने दौरान मुकदमा काश्त शुरू कर दी है पर दखल हासिल करने का ख्वासितगार है और प्रतिवादीगण को अख्तयार है कि वह अपना मलवा तामीरात दखल से पहले जिस वक्त भी चाहे उठाकर ले जाये।

3. उक्त आधार पर वादी द्वारा निम्नलिखित अनुतोष याचित किया गया हैः–

3.1 (अ) बसदूर डिग्री अदालत हाजा मुद्दई को दखल वाकई व कामिल ऊपर हिस्सा आराजी कब्रिस्तान खसरा नम्बर 3377 रकबइ 36–7–8 बिस्वांसी वाके मौजा बरनावा, तहसील सरधना, जिला मेरठ (वर्तमान बागपत) जिसपर प्रतिवादीगण ने पुख्ता तामीरात कर ली है और जिन तामीरात को नक्शा नजरी दावा में हरूफ (अक्षर) ए–बी–सी–डी–इ–एफ–जी–एच से जाहिर किया गया है या जिस पर उन्होंने दौरान मुकदमा बजरिये काश्त या जदीद तामीरात या किसी भी दिगर तरीके से कब्जा कर लिया है और जो बरवक्त दखल वहां कब्जा प्रतिवादीगण में पाया जाए बाद बेदखली प्रतिवादीगण बजरिये अमीन अदालत बमुकाबले प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

3.2 (ब) बजरिये हुकम इम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को मना किया जाये कि वह कब्रिस्तान खसरा नंबर 3377 रकबई 36 बीघे 6 बिस्वे 8 बिस्वांसी में किसी भी किस्म की कोई मदाखलत न करे और कब्रिस्तान में बनी हुई इमरात दरगाह व चबूतरा मस्जिद व पुख्ता व खाम कब्रो को न तोड़े और न किसी तरह नुकसान पहुंचाये और न कब्रिस्तान में कोई हवन करे।

3.3 (स) हर दीगर दादरसी जो राय अदालत में बहक मुद्दई हो खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावे।

3.4 (द) खरचा नालिश हाजा प्रतिवादीगण के जिम्मे आयद फरमाया जावे।

4. प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र 44 क 1 दाखिल करते हुये वादपत्र की धारा–1 को असत्य बताया तथा उक्त के विपरीत तथ्य यह बताये कि वादग्रस्त सम्पत्ति एक ऐतिहासिक स्थान है जो पूर्व ऐतिहासिक (Pre Historic) लाखा मन्डप के नाम से विख्यात है और एक किम्बदन्ती चली आती है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर कौरवों ने लाख का किला इसलिये बनाया था कि पाण्डवों को उसमें आमंत्रित करके किले में आग लगा दें और उन्हें भस्म कर दें और यह स्थान सदियों से लाखा मंडप के नाम से दूर –दूर तक विख्यात है। वादग्रस्त सम्पत्ति हरगिज किसी मुसलमानी बुजूर्ग की न इबादत का स्थान था और न किसी ऐसे मुसलमान सन्त का मकबरा था जिसकी लोग इबादत करते हो। वह हरगिज कब्रिस्तान नहीं है, केवल पहाड़ पश्चिम के कोने में एक बहुत छोटे से रकबे में लगभग चार सौ मुरब्बा गज में कुछ कच्ची–पक्की कब्रें बनी हुई हैं और यह हिस्सा चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। वादपत्र की धारा –02 वादपत्र को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वादी किसी वक्फ का मुतवल्ली नहीं है और उसे वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी ने इस कथन द्वारा वाद को साम्प्रदायिक एक अनुचित रंगत देने की कोशिश की है। वास्तव में वादग्रस्त सम्पत्ति एक ऐतिहासिक स्थान है जो जनता की शास्त्रीय तथा सांस्कृतिक मनोभावना से सम्बन्धित है। इस जनता की रूची को पूरा करने के लिये एक समिति जिसका नाम श्री गाँधी धाम समिति लाक्षागृह बरनावा का गठन हुआ और वैधानिक रूप से उसकी रजिस्ट्री सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत दिनांक 24 नवम्बर 1966 को हो चुकी है। उसके विधान के अनुसार उसके महासभा, प्रधान, उप प्रधान, मंत्री इत्यादि हैं जो अपने –अपने पद का कार्यभार सम्भाल कर कार्य कर रहे हैं। सभा का उद्देश्य है कि बौधिक प्रवर्तियों के लिये वेद के पठन पाठन और उसके अनुसंधान को प्रोत्साहन देना इत्यादि–इत्यादि। उक्त समिति ही लगभग चार साल से वादग्रस्त सम्पत्ति पर काबिज है और जनहित में कार्य कर रही है। उत्तरदाता प्रतिवादीगण हरगिज भी व्यक्तिगत रूप से काबिज नहीं हैं। अब से लगभग चार वर्ष से भी अधिक समय से वादग्रस्त भूमि के एक बड़े भाग पर समिति और उसके कार्यकर्ताओं ने लगभग 80,000/– रूपये (अस्सी हज़ार रूपये) से अधिक की लागत लगाकर एक यज्ञशाला तथा समिति के कार्यकर्ताओं के पक्के मकान अथवा जनहित के लिये पुस्तकालय तथा चिकित्सालय कायम करने के लिये बना दिये हैं। समिति को कुल यह चन्दा दान रूप में जनता से मिला है। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गाँधी के शहीद होने के पश्चात उनकी पवित्र भस्मी एक सम्मानित सार्वजनिक ऐतिहासिक स्थान होने के कारण वादग्रस्त भूमि टीले पर लायी गयी थी और पास में बहती हुई हिण्डन तथा कृष्णा के संगम में प्रवाह की गयी थी। उसी समय से हर वर्ष लगभग 22 साल से

वादग्रस्त भूमि के ऐतिहासिक सम्मान में एक पदयात्रा की जाती है और जनता बहुत संख्या में गाँधी पर्व मनाने के लिये जनवरी मास में इकट्ठा होती है। जनता ने अपनी ऐतिहासिक राष्ट्रीय मनोभावना के कारण वादग्रस्त सम्पत्ति में एक पक्का लाल बहादुर शास्त्री गेट भी बनाया हुआ है। महात्मा गाँधी की एक विशाल संगमरमर की मूल्यवान मूर्ति भी स्थापित है। धारा–6 वादपत्र में केवल लाल बहादुर द्वार का बनाना स्वीकार है, शेष कथन स्वीकार नहीं है। मौके पर समिति ने जो पुराना कुआं अटा हुआ था जिसको कमिश्नर महोदय ने अपने नक्शे में जाहिर किया है उसको बडी लागत तथा परिश्रम के बाद लगभग 150 फुट गहराई तक साफ करके पानी को उजाला है। उसकी इमरात तथा ईंटे आदि ऐतिहासिक समय की हैं। कोई नया कुआं नहीं बनाया गया है। समिति ने कसीर लागत लगाकर बिजली का कनेक्शन प्राप्त किया है और दसियों कीमती बिजली के खम्बे गड़वाये हैं। ट्यूब वेल लगाने के लिये समिति को 10 हॉर्स पावर मोटर चलाने की आज्ञा बिजली विभाग से प्राप्त हो चुकी है और समिति ने कीमती नल मौके पर एक हजार रूपये से भी अधिक कीमत के प्राप्त कर लिये हैं। वादी का यह कथन कि उत्तरदाता प्रतिवादीगण ने किन्ही कब्रों को तोड़ा है अथवा तोड़कर किसी इमारत पर कब्जा करना चाहते हैं, नितान्त असत्य है। वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति हरगिज भी कब्रिस्तान नही है।

5. प्रतिवादीगण द्वारा अपने विशेष कथन में यह कहा गया है कि जैसा कि धारा–1 में कथित वादग्रस्त सम्पत्ति एक ऐतिहासिक सत्य होने के कारण उसकी घोषणा अन्तर्गत धारा–3(1) Ancient Monuments Preservation Act, 1904 के मातहत उक्त समय की संयुक्त प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति दिनांक 25 नवम्बर सन् 1920 की और कोई आक्षेप न होने के कारण दूसरी विज्ञप्ति दिनांक 27 दिसम्बर 1920 के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को Ancient Monument घोषित कर दिया और उसे लाखा मण्डप उक्त कथन के अनुसार ही मानकर ऐसा किया गया। विज्ञप्ति नम्बर 526 आर एस (1) का दिनांक 21 मई सन् 1959 आज्ञा से श्री जहीर उल हसन सचिव, उ0प्र0 सरकार खसरा नंबर 1950 (बन्दोबस्त वाह साहब) रकबई 30 बीघे को अन्तर्गत धारा–6 Indian Forest Act को वन घोषित किया और उसी समय से वन विभाग उस पर काबिज है। इस प्रकार केवल रकबा 6 बीघे 7 बिस्वा 8 बिस्वांसी बाकी रह गया जिसकी बाबत एक रिपोर्ट तसीह जमाबंदी वाद मुश्तहरी दिनांक 27.12.1964 के नायब तहसीलदार महोदय, सरधना ने दिनांक 12.02.1965 के द्वारा तहसीलदार महोदय जिनकी रिपोर्ट दिनांक 15.02.1965 द्वारा हाकिम इलाका को प्रस्तुत की गयी कि कागजात में दरगाह का इंद्राज गलत है और लाखा मण्डप का इंद्राज होना चाहिये। आज्ञा दिनांक 04.03.1965 द्वारा हाकिम इलाका महोदय ने उक्त रिपोर्ट को स्वीकार करते हुये इंद्राज के दुरूस्ती की आज्ञा प्रसारित कर दी। जैसा कि उपरोक्त में अंकित है, वादग्रस्त समपत्ति पर श्री गाँधी धाम समिति लाक्षागृह बरनावा काबिज व दाखिल है, उत्तरदाता प्रतिवादीगण व्यक्तिगत रूप से काबिज नहीं हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति वक्फ नहीं है। वादी को कोई अधिकार वाद प्रस्तुत करने का नहीं है। वाद में उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार का पक्षकार बनना आवश्यक है और वाद आवश्यक पक्षो के असंयोजन के दोष से बाधित है। उक्त आधार पर दावा वादी व्यय सहित खण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. वादी पक्ष की ओर से रेप्लिका 150 क 2 दाखिल करते हुये यह कथन किया गया कि कब्रिस्तान मुतदावियामे जो कुछ भी मदाखलत की गयी है वह प्रतिवादीगण की तरफ से की गयी है और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा हाजा दायर किया गया है। यू०पी० स्टेट या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने या उनके किसी महकमे या मुलाजिम ने कब्रिस्तान मुतदाविया में मुद्दई के इल्म में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है कि जिससे यू०पी० स्टेट या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को इस मुकदमे में शामिल किया जाना जरूरी हो। प्रतिवादी को यह हक हासिल नहीं है कि वह हूकूमत यू०पी० या सेन्ट्रल हूकूमत की किसी तौर भी इस मुकदमे में नुमाइन्दगी करें या इन दोनों हूकूमतों फरीक मुकदमा न बनाये जाने का कोई ऐतराज इस मुकदमे में उठा सके। अगर मुद्दई के इल्म में ऐसी कोई कार्यवाही आइन्दा कभी आई जो हूकूमत यू०पी० या सेन्ट्रल हूकूमत या उनके किसी महकमे या मुलाजिम की तरफ से की गयी है और उसका कोई असर मौजूदा मुकदमे के तसफिये पर ऐसा पड़ता मालूम होगा जिसकी वजह से हूकूमतों का इस मुकदमे में फारिक मुकदमा बनाया जाना एक लाजमी अगर महत्व रखेगा तो उस वक्त मुद्दई उन दोनों हूकूमतों या उनमे से किसी को फरीक मुकदमा बनाने पर गौर करेगा।

7. अतिरिक्त प्रतिवादपत्र 175 क 1 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि संशोधित वाद स्वीकार नहीं है और श्री छिद्दा सिंह उक्त सोसायटी के सचिव नहीं हैं। इसके अलावा उक्त सोसाइटी को सचिव के नाम से नहीं, बल्कि सचिव के माध्यम से ही प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए। संशोधित वादपत्र के पैरा 7 अ, 7 व 7 ज स्वीकार नहीं है। वादी की वह संशोधित अनुतोष अस्वीकार है। परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या–3 को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया है। संशोधित अनुतोष परिसीमा अवधि से बाधित है। वादी विवादित संपत्ति का स्वामी नहीं है और न ही उसे विवादित संपत्ति से कोई सरोकार है और वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है। उक्त आधार पर दावा वादी हर्जे के साथ निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

8. प्रतिवादी संख्या–1/1 व अन्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादपत्र 526 क 1 दाखिल करते हुये विवादित खसरा नंबर 3377 का क्षेत्रफल 36 बीघा, 06 बिस्वा 08 बिस्वांसी होना तथा उसका दो भाग होना स्वीकार किया तथा माननीय लाल बहादुस शास्त्री दरवाजा बनवाया जाना स्वीकार किया तथा वादपत्र के शेष कथनों को अस्वीकार किया गया और विशेष कथन में कहा कि हिन्डन नदी व कृष्णा नदी के संगम पर बरनावा बसा हुआ है जो कि भारत वर्ष के उन 64 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है जो भारत वर्ष में पूर्व से पवित्र स्थान माने जाते हैं। इसी संगम पर एक ऐतिहासिक स्थल महाभारत के समय से है जो कि लाक्षागृह के नाम से प्रसिद्ध है। एक ऊँचे टीले के रूप में है जो बहुत प्राचीन काल से इसी प्रकार चला आता है। इसी लाक्षागृह के विषय में यह विश्वास व किवदंतियाँ पहले से ही चले आते हैं कि वह स्थान है जहाँ पर महाराज दूर्योधन ने पाण्डवों व उनकी माता कुन्ती को भस्म करने के लिये लाक्षागृह बनवाया था परन्तु अब जब से भी लोगों की याददाश्त है तभी से यह मिट्टी के कंकर, पत्थर और मिट्टी के ऊँचे ढेर के रूप में सदियों से चला आ रहा है। उपरोक्त लाक्षागृह का क्षेत्रफल लगभग 100 बीघे कच्चे से कुछ अधिक है जिसका खसरा नम्बर 3377 है जिसके जमींदार नाहर सिंह व पृथी सिंह तथा उनके छः अन्य भाई थे। सन् 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की निर्मम हत्या हो जाने के पश्चात उनकी अस्थियों का कुछ भाग

इसी संगम में इस क्षेत्र की जनता तथा बाहर से आये बहुत से महानुभावों के समक्ष विसर्जित की गयी थी। दिनांक 12.02.1948 को अस्थियाँ संगम में विसर्जित करते समय यहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा हुयी जिसमें इस भूमि के जमींदारी नाहर सिंह व पृथी सिंह व उनके सभी भाई मौजूद थे। उन्होंने इस समारोह में यह घोषणा की थी कि वे इस भूमि को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की स्मृति में योजना बनाकर यादगार स्थापित करने के लिये निःशुल्क देते हैं। तभी से अब तक प्रत्येक वर्ष दिनांक 30 जनवरी एवं 02 अक्टूबर को बहुत बड़ी सभायें होती हैं। देश के कोने–कोने से बहुत से व्यक्ति मुख्यतः सर्वोदई नेता एकत्रित होते हैं और विवादित भूमि पर सभायें, कार्यक्रम, हवन आदि चलते हैं। जमीदारों के उपरोक्त घोषणा करने के सम्बन्ध में कोई तहरीर नहीं हो सकी, इस कारण जमींदारी खात्मा होने के पश्चात यह भूमि ग्राम सभा में चली गयी। दिनांक 15.03.1956 को भूमि प्रबन्धक समिति ने इसके लिये प्रस्ताव संख्या 03 पारित किया जिसके अनुसार यह भूमि गाँधी जी की यादगार के लिये समर्पित की गयी। प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी व 02 अक्टूबर को यह कार्यक्रम बराबर चलता रहता है। सन् 1960 से ब्रहमचारी श्री कृष्णचंद जी महाराज द्वारा चारों वेदों का पाठ यहाँ मुख्य रूप से चलता रहा है जिसमें इस क्षेत्र की जनता लाखों की संख्या में भाग लेती है और देश के अन्य भागों से भी काफी लोग आते हैं। सन् 1964 में यज्ञशाला का निर्माण हुआ जो अब कम से कम दस लाख रूपये की सम्पत्ति है। उसमें बराबर यज्ञ होता रहता है और उत्सवों पर महायज्ञ होता है। सन् 1964 से 1966 तक अनेकों कमरे बनवाये गये हैं तथा बहुत बड़ा सत्संग भवन भी बनाया गया है। एक ट्यूब वेल दस हॉर्स पावर का लगवाया गया तथा उसकी पक्की नालियाँ बनवायी गयी तथा पशुशाला भी बनवायी गयी थी। यहाँ एक महानंद संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया है, जिसमें लगभग 100 विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी लाक्षागृह से सम्बन्धित कुछ भूमि उबड़–खाबड़ व ऊंची–नीची पड़ी हुयी थी जिसमें क्षेत्र की जनता ने अपनी स्वयं की मेहनत से तथा गाँधी धाम समिति ने इस भूमि को दान में मिले धन से कृषि योग्य बनाया। उल्लेखनीय है कि लगभग तीन माह तक बुलडोजर चलाया गया था, तब जाकर यह भूमि कृषि योग्य हुयी थी। तभी से इस भूमि में कृषि करायी जा रही है तथा कुछ वृक्ष भी समिति द्वारा इसमें लगाये गये हैं। कुछ नाजायज व्यक्तियों ने विवादित भूमि लाक्षागृह को हड़पने के लिये कब्रिस्तान बताकर उपरोक्त झूठा मुकदमा योजित किया हुआ है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। समिति की ओर से विभिन्न व्यक्तियों व सरकार से भी यह चाहा है कि विवादित भूमि वादी के नाम कर दी जाये परन्तु सरकारी बहुत सी अड़चनों के कारण अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। 06 बीघे 07 बिस्वे 08 बिस्वांसी भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर समिति व आसपास की जनता का कब्जा है। इस समय इसकी कीमत एक करोड़ से अधिक है। विवादित भूमि के बारे में पहले सरकार ने सन् 1968 में समिति के विरूद्ध बेदखली का वाद योजित किया था जो दिनांक 27.08.1968 को खारिज हुआ। उस वाद में समिति का कब्जा सन् 1961 से मानते हुये नोटिस दिया गया था। लाक्षागृह की भूमि से कुछ दूर ग्राम पुरा का ऐतिहासिक शिव मंदिर भी है, जिसके बारे में आम लोगों का यह मत है कि यहाँ पर महर्षि परशुराम जी ने तपस्या की थी इसलिये इस मन्दिर में प्रत्येक वर्ष सावन मास की चतुर्दशी को लाखों लोग पैदल हरिद्वार से गंगाजल लाकर इस मन्दिर पर चढ़ाते हैं। सन् 1986 में उन कावडियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों का विवाद हो गया। झगड़े में सरकार ने यह प्रयास किया कि विवादित भूमि में पेड़

लगाये जाये तथा कब्जा कर लिया जाये। गाँधी धाम समिति ने उ0प्र0 सरकार व वन विभाग के विरूद्ध वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा, वाद संख्या–869/1986 योजित किया, जिसमें पक्षकारो ने पूर्ण साक्ष्य दिया और यह वाद दिनांक 18–03–1997 को डिग्री हुआ। उ0प्र0 सरकार व वन विभाग ने गाँधी धाम समिति के विरूद्ध बेदखली का वाद भी सक्षम अधिकारी के समक्ष योजित किया जो दिनांक 10.10.1990 को खारिज हो गया तथा जिसकी अपील भी दिनांक 15.07.1991 को खारिज हो गयी। विवादित भूमि में से जो 06 बीघे 07 बिस्वे 08 बिस्वांसी भूमि है वह हरगिज भी न तो कोई दरगाह है, न कोई कब्रिस्तान है, बल्कि वह पुरातत्व विभाग भारत सरकार के गजट में पुरातत्व विभाग में अर्जित कर ली गयी है। उस पर पाली भाषा में पत्थरों पर पुराने लेख भी लिखे हुये हैं तथा वहाँ हवन के लिये हवन कुण्ड भी बना हुआ है। उसके दरगाह या कब्रिस्तान होने या कहने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है तथा दरगाह या कब्रिस्तान कहना भी सर्वथा मिथ्या एवं निराधार है। बरनावा में अन्य स्थानो पर बीस बीघे पक्के से अधिक कब्रिस्तान है इसलिये इस भूमि में कब्रिस्तान होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, न इसमें कभी कब्र थी व न ही अब है। वादी का यह कहना कि यहाँ पर कोई बुजुर्ग हसरत शेख बदरूद्दीन साहब रहमतुल्ला अलेह ने यहाँ इबादत की या फिर वे दफन हुये या उनका कोई मकबरा बना हुआ है, कतई झूठ व बेबुनियाद है और न ही कोई मस्जिद का चबूतरा है। वादी का यह कहना भी झूठ है कि इस क्षेत्र के लोग कथित मजार के करीब दफन होना शुरू हुये, यहाँ पर किसी कब्रिस्तान की इब्तदा नहीं हुयी। वादी का कहना कि शनशाह ने इस आस पास की जगह को वक्फ कर दिया, कतई झूठ व बेबुनियाद है। कोई कब्रिस्तान इस भूमि पर नही है न कभी यह टीला दरगाह मकदूम शाह विलायत साहब के नाम से मशहूर हुआ, बल्कि जब से इन्सानी याददाश्त है तभी से इसको लाक्षागृह के नाम से जाना जाता है। सरकारी कागजात में इस भूमि को कब्रिस्तान या तो शरारतन या मौके के खिलाफ कतई झूठ दर्ज किया गया है, उससे यह भूमि कतई कब्रिस्तान नहीं कही जा सकती है, न ही यह वक्फ अलल अल्लाह है। सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड में यदि यह दर्ज है तो यह मौके तथा कानून के विरूद्ध है। वादी हरगिज भी इसका मुतवल्ली नहीं है और न ही उसे वाद योजित करने का अधिकार प्राप्त है। वादपत्र की धारा–03 में प्रतिवादी संख्या–01 पर यह लांछन लगाना कि उन्होंने हिन्दू हजरात को उभारना शुरू किया है कि विवादित भूमि हिन्दूओं के किसी बहुत पुराने तीर्थ के ऊपर कब्रिस्तान बनाया गया है और इस कब्रिस्तान को खत्म करके फिर से इसे हिन्दूओं का तीर्थ बना देना चाहिये, कतई गलत है, बल्कि ऐसा अवश्य हो सकता है कि यहाँ पर हिन्दूओं के तीर्थ स्थानों को खराब व नेस्तनाबूद करने के लिये कुछ लोगों ने प्रयास किये हैं परन्तु विवादित भूमि के बारे में वे सफल नहीं हुये। केवल गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित भूमि को कब्रिस्तान कहना न्याय संगत नहीं है। सन् 1966 में गाँधी जी की मूर्ति स्थापित नहीं की गयी थी, बल्कि सन् 1948 में ही गाँधी जी की अस्थियों का कुछ भाग संगम में विसर्जित करते हुये आम सभा में विवादित भूमि को गाँधी जी की यादगार में योजना बनाकर कायम करने का संकल्प लिया गया था। विवादित भूमि में जब कोई कब्र थी ही नहीं इसलिये उसको तोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, बल्कि जो भी हवन कुण्ड, यज्ञशाला व सत्संग भवन आदि बनाये गये हैं वे सभी रिक्त भूमि में बनाये गये हैं। वादी ने वादपत्र के साथ मानचित्र भी गलत दर्शाया है और उसमें सभी चीजें नहीं दर्शायी है। जगमोहन प्रतिवादी संख्या–02 को नुमाईन्दा हिन्दू बिरादरी क्षेत्र बरनावा

गलत बनाया गया है, वह कोई नुमाईन्दा नहीं है, बल्कि एक आम जनता का व्यक्ति है। वादपत्र में क्षेत्र बरनावा का कोई विवरण वादी ने नहीं दिया है। यह एक अस्पष्ट बात लिख दी है, जिससे यह प्रकट नहीं होता है कि बरनावा क्षेत्र से वादी का क्या अभिप्राय है। कितने गाँव या कितने क्षेत्रफल को वह बरनावा क्षेत्र बताता है। एक भी कब्र बुलडोजर से नहीं तोड़ी गयी न कोई वहाँ कब्र थी इसलिये कब्र को तोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है, बल्कि बुलडोजर से भूमि एकसार कराकर कृषि योग्य बनायी गयी है। श्री कृष्ण दत्त जी महाराज पर यह लांछन लगाना कि मेरठ के अफसरान पर उन्होंने उनको एक मजहबी व रहनुमा शख्स जाहिर किया, गलत है, बल्कि सत्य यह है कि वे एक देव पुरूष थे और अशिक्षित होने के बावजूद भी वह शुद्ध संस्कृत में घन्टों अपना प्रवचन करते थे, जिसके बारे में लाखों किताबें संसार के कोने –कोने में प्रचलित है तथा उनके प्रवचनों की हजारों कैसिट हैं। ग्राम पत्रों में कब्रिस्तान का इन्द्राज मौके के विरूद्ध पाया गया इसलिये उसे सही तौर से लाखा मण्डप दर्ज किया गया है, उसके विरूद्ध वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी का यह कहना कि अफसरान महकमा प्रतिवादी संख्या –01 के असर में थे और कागजात में कोई तब्दीली की थी, गलत व झूठे हैं। विवादित भूमि को वक्फ या कब्रिस्तान या दरगाह कहना वास्तविकता व सत्यता के बिल्कुल विपरीत है। मौके पर न कोई कब्रिस्तान है, न कोई मकबरा है और न ही कोई दरगाह है इसलिये खत्म करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कोई कुआं शाही खजाने से नहीं बना है। वादी का इसके विरूद्ध कथन गलत व बेबुनियाद है। कोई गिरोह हिन्दू हजरात का नहीं है। वादी ने वाद को एक अनुचित रूप से साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयास किया है और उसका एकमात्र उद्देश्य केवल महाभारत के ऐतिहासिक स्थल को जो कि जनता की मनोभावना से सम्बन्धित है, को समाप्त करना है। वादपत्र का सत्यापन वादी द्वारा कतई गलत किया गया है इसलिये वादपत्र त्रुटिपूर्ण है। विवादित भूमि में जो भी निर्माण है वह वाद योजित होने से काफी पूर्व का है, जिसको सभी ने देखा है तथा उस निर्माण को करने में किसी ने भी कोई व्यवधान कभी भी उत्पन्न नहीं किया है इसलिये वाद में मौन विबंधक का सिद्धान्त बाधित है। न्यायालय को उपरोक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आधारों पर वादी का वाद खण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

9. अतिरिक्त प्रतिवादपत्र 438क1 प्रतिवादी संख्या 1/1/1 की ओर से प्रस्तुत करते हुये विशेष कथन के अन्तर्गत यह कहा गया कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1/1 जयकिशन ने प्रतिवादी राजपाल सिंह के साथ जो प्रतिवादपत्र दाखिल किया है, प्रतिवादी संख्या 1/1/1 ने भी उसी प्रतिवादपत्र को अपने प्रतिवादपत्र के रूप में अंगीकृत किया है। इस प्रकार वही प्रतिवादपत्र प्रतिवादी संख्या 1/1/1 का भी प्रतिवादपत्र है। नक्शा नजरी वादपत्र मौके की मौजूदा सही स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है, तदनुसार उक्त नक्शा नजरी अपूर्ण व अस्पष्ट है। उक्त नक्शा नजरी वादपत्र पैमायशी भी नहीं है, जिस कारण नक्शा नजरी वादपत्र, वाद में उत्पन्न विवाद के पूर्ण व प्रभावी निस्तारण में सहायक नहीं है। उपरोक्त वाद के लम्बनकाल में प्रतिवादी सख्या 3 गाँधी धाम समिति लाक्षागृह बरनावा के सेक्रेटरी श्री छिद्दा सिंह का देहान्त हो गया है, उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त समिति के सेक्रेटरी श्री राजपाल पुत्र श्री रविशंकर हुये। उक्त संस्था की वर्ष 2014–15 में बनी प्रबन्ध समिति के अनुसार उक्त संस्था के वर्तमान में मंत्री श्री संजीवेश्वर त्यागी पुत्र श्री निरंजन सिंह त्यागी, निवासी ग्राम कैथवाड़ी, जिला मेरठ, हाल निवासी मकान नम्बर

105/4, गली नम्बर 4, पंचशील कॉलोनी, गढ़ रोड, मेरठ है जो वाद में आवश्यक पक्षकार हो गये हैं तथा उन्हें वाद में पक्षकार वाद बनाया जाना आवश्यक है। इस बाबत भी वादपत्र के शीर्षक व वादपत्र के अभिकथनों में कोई संशोधन नहीं कराया गया है। खालिद खाँ पुत्र फैजुल्ला खाँ को उक्त वाद जारी रखने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी का विवादित सम्पत्ति में कोई हित निहित नही है इसलिये वाद, वादीगण कानूनन पोषणीय नहीं है। वाद, वादी धारा–34 व 39 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। उक्त आधारो पर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण व्यय सहित खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

10. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 04.05.1973 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गयेः–

I. क्या वादपत्र के अभिकथनो के अनुसार खसरा या प्लॉट नंबर 3377 *"कब्रिस्तान"* है?

II. क्या प्रतिवादीगण ने वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच से दर्शित स्थान पर अनाधिकृत निर्माण किया है?

III. क्या वादी अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच से दर्शित तथाकथित अनाधिकृत निर्माण को हटवा पाने का अधिकारी है?

IV. क्या वादी को अभिवचनो के पैरा–2 में वर्णित कारणो के आधार पर वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है?

V. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

VI. क्या वाद में आवश्यक पक्षों के असंयोजन का दोष विद्यमान है?

VII. क्या विवादित जमीन वक्फ से संबंधित है?

VIII. क्या न्यायालय के पास इस मुकदमे की सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है?

IX. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

11. उभयपक्षों के अतिरिक्त अभिवचनो के आधार पर दिनांक 20.07.2019 को निम्नलिखित अतिरिक्त वाद बिन्दु निर्मित किये गयेः–

X. क्या वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम–1963 की धारा–34, 39, 41 द्वारा वर्जित है?

XI. क्या संशोधन के पश्चात वाद अल्पमूल्यांकित है व प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

XII. क्या वाद विबन्ध (estoppel) के सिद्धांत द्वारा बाधित है?

XIII. क्या संशोधित अनुतोष समय बाधित है?

XIV. क्या मुकदमा प्रतिवादी संख्या–3 को नियमानुसार पक्षकार न बनाए जाने के कारण, प्रतिवादी संख्या–3 के विरुद्ध पोषणीय नहीं है?

12. वादी पक्ष की ओर से सूची के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये गये हैंः–

सूची	कागज	दाखिल दस्तावेज	प्रदर्श

	संख्या		
137 ग			
	138 ग	नकल निगरानी संख्या 41/1970, मुखीम खाँ बनाम उ०प्र० राज्य	प्रदर्श–1
11 ग 1			
	12 ग	नकल खतौनी 1276 फसली खसरा नम्बर 201 खेवट नम्बर 944	प्रदर्श–2
	13 ग 1/2	नकल खेवट 1276 फसली	प्रदर्श–3
	14 ग	नकल खसरा मौजा बरनावा	प्रदर्श–4
	15 ग	नकल शिजरा 944	प्रदर्श–5
	16 ग	नकल इंतखाब खतौनी मौजा बरनावा 1303 फसली	प्रदर्श–6
	17 ग	नकल इंतखाब खेवट बरनावा 1303 फसली	प्रदर्श–7
	18 ग	नकल शिजरा 2679	प्रदर्श–8
	19 ग	नकल इन्तखाब खतौनी, 1343 फसली खसरा नम्बर 2950 ज	प्रदर्श–9
	20 ग	नकल इन्तखाब खतौनी मौजा बरनावा 1343 फसली	प्रदर्श–10
	21 ग	नकल इन्तखाब खसरा 1343 फसली, खेवट नंबर–120	प्रदर्श–11
	22 ग	नकल शिजरा, 1343 फसली	प्रदर्श–12
62 ग			
	63 ग	नकल जोत चकबंदी आकार पत्र 45	प्रदर्श–14
	64 ग	नकल जोत चकबंदी आकार पत्र 41	प्रदर्श–15
188 ग			
	189 ग	आदेश दिनांकित 19/20 जुलाई 1973 द्वारा Revision No.41/1970 आयुक्त मेरठ को अग्रसारित की गयी है।	
	190 ग	A.S.I. (North Western Circle, 2 rest camp, Dehradun) का पत्र संख्या M.R.T.–5–U.P./64,7883 dated August 02, 1964	
	191 ग	Copy of letter from Superintendent Archaeological Survey of India, North Western Circle, Dehradun Letter No. MRT (GL)–UP/64–5692 dated 27.06.1964.	
203 ग			
	204 ग	Copy of form of certificate of registration Waqf No.583	

		Meerut–30.09.1964	
809 ग 1			
	809 ग 1/ 3	Civil Appeal 31/2008, शौकत खाँ बनाम उ०प्र० राज्य आदि	

13. वादी पक्ष की ओर से निम्नलिखित मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैः–

क्र० सं०	कागज संख्या	साक्षी का नाम	पी०डब्लू०
1.	201 क	मुकीम खाँ	पी०डब्लू० 1
2.	223 क	मजहर अहमद	पी०डब्लू० 2

14. प्रतिवादी पक्ष की ओर से सूची के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये गये हैंः–

सूची	कागज संख्या	दाखिल दस्तावेज	प्रदर्श
46 ग			
	47 ग	नकल खसरा, 1303 फसली, जिल्द बन्दोबस्त गैलन साहब	प्रदर्श क–1
	48 ग	नकल इश्तहार दिनांकित 16.07.1964	प्रदर्श क–2
	49 ग	दिनांक 16.07.1964 तामील इश्तहार	प्रदर्श क–3
	50 ग	नकल इश्तहार नम्बर 85, तहसीलदार सरधना, जिला मेरठ दिनांकित 18.12.1964	प्रदर्श क–4
	51 ग	तामीला रिपोर्ट इश्तहार	प्रदर्श क–5
	52 ग	Copy of report of Naib Tehsildar dated 12.02.1965	
	53 ग	Copy of report of Tehsildar dated 15.12.1965	
	54 ग 2	Copy of Judgment of S.D.O. dated 04.03.1965.	प्रदर्श क–6
	55 ग 2	नकल खतौनी खसरा नंबर 3377	प्रदर्श क–7
	56 ग 1	नकल खसरा ग्राम बरनावा 1395 फसली	प्रदर्श क–8
	57 ग	नकल खतौनी ग्राम बरनावा	प्रदर्श क–9
	58 ग 2	नकल खसरा ग्राम बरनावा खसरा नंबर 3377/2, वन विभाग	प्रदर्श क–10
	61 ग 1	वाद संख्या 307/1968 नकल तजबीज	प्रदर्श क–11
78 ग			
	79 ग	विद्युत कनेक्शन दिनांक 09.02.1970	
172 ग			
	173 ग	नकल खतौनी बरनावा 1388 फसली	
255 ग			

	256 ग	Notification No.1669/1133M dated 27.12.1920, Allahabad–under Section 3, sub Section (3) of the Ancient Monument Preservation Act, (VII of 1904)–Notification No.1465M/1133, dated 25.11.1920 published at pages 1911–1924 of Part I of United province Gazette, dated 27.11.1920.	
	257 ग	Notification No.1465M/1133, dated 25.11.1920 Section 3, sub Section (3) of the Ancient Monument Preservation Act, (VII of 1904)–declared ancient monument and invited objection within 1 month.	
	258 ग/1	Schedule of protetction of Lakha Mandap	
	258 ग/2	Survey Plan of Lakha Mandap at Barnawa by Superintendent Archaeologist A.S.I. Northern Circle Area, dated 15.02.1978.	
751 ग 2			
	752 ग	डिक्री मूल वाद संख्या–869/1986	
762 ग			
	763 ग	नकल छः वार्षिक खतौनी 1388 ता 1391 फसली	
	764 ग	नकल आकार पत्र 2–क	
465 ग			
	466 ग	विविध अपील संख्या–212/1990 उ०प्र० राज्य बनाम गाँधी धाम समिति	

15. प्रतिवादी पक्ष की ओर से निम्नलिखित मौखिक साक्षीगण को परीक्षित कराया गया हैः–

क्र० सं०	**कागज संख्या**	**साक्षी का नाम**	**डी०डब्लू०**
1.	261 क	ओ०पी० कपूर (Senior Conservation Assistant, A.S.I.)	डी०डब्लू० 1
2.	271 क	बलवीर सिंह (लेखपाल बरनावा)	डी०डब्लू० 2
3.	403 क	छिद्दा सिंह	डी०डब्लू० 3
4.	407 क	लक्ष्मीचंद	डी०डब्लू० 4
5.	772 क	जयवीर शास्त्री	डी०डब्लू० 5

6.	768 क	राजपाल त्यागी	डी०डब्लू० 6
7.	767 क	आदेश शर्मा	डी०डब्लू० 7
8	769 क	विजयपाल सिंह	डी०डब्लू० 8

16. प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध न्यायालय के आदेश दिनांक 25.03.1977 तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता प्रतिवादी संख्या 10/5/3 के विरूद्ध न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.04.2019 द्वारा पत्रावली की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है।

17. मैनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा उभयपक्षो की लिखित बहस का गहन परिशीलन किया।

निष्कर्ष

18. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–1,2,3 व 7** वाद बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या वादपत्र के अभिकथनो के अनुसार खसरा या प्लॉट नंबर 3377 "कब्रिस्तान" है?"*

19. वाद बिन्दु संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या प्रतिवादीगण ने वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर A, B, C, D, E, F, G, H से दर्शित स्थान पर अनाधिकृत निर्माण किया है?"*

20. वाद बिन्दु संख्या–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या वादी अक्षर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच से दर्शित तथाकथित अनाधिकृत निर्माण को हटवा पाने का अधिकारी है?"*

21. वाद बिन्दु संख्या–7 इस आशय का विरचित किया गया है कि*"क्या विवादित जमीन वक्फ से संबंधित है?*

22. उपरोक्त समस्त वाद बिन्दुओ के निस्तारण में समान प्रकार के साक्ष्यों व तथ्यों के परिशीलन की आवश्यकता होगी अतः सुविधा की दृष्टि से इन वाद बिन्दुओ का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

23. उपरोक्त सभी वाद बिन्दु वादी के अभिवचनो के आधार पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार वादी पर है।

24. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–101 यह उपबंधित करती है कि *"जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिसे वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।*

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।"

25. वादी द्वारा वादपत्र में यह कथन किया है कि करीब 600 साल पहले हजरत शेख बदरुद्दीन साहब ने अपनी जिंदगी में विवादित भूमि पर इबादत की और वहीं दफन हुए, जिसके बाद इस कस्बे और आस–पास इलाके के बहुत से लोग दफन होना शुरू हो गए, जिससे यहां कब्रिस्तान की इब्दता हुई व शाहने वक्त

ने इस टीले व आस–पास की भूमि को वक्फ कर दिया। तभी से यह कागजात सरकारी में कब्रिस्तान दर्ज चला आता है। सैकड़ो वर्ष से कब्रिस्तान के रूप में इस्तमाल होने के कारण वक्फ अल अल्लाह व सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज रजिस्टर होने का कथन किया है।

26. वादी द्वारा वादपत्र नक्शा नजरी में अक्षर ए ,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच से दर्शित स्थान पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्रों को तोडकर उनकी जगह कृषि करने व निर्माण कर लेने का कथन किया है तथा मेरठ के अफसरान द्वारा कब्रिस्तान के 6–7–8 रकबे को दरगाह के स्थान पर लाखा मण्डप दर्ज करने का कथन किया है।

27. प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र में विवादित भूमि को वक्फ या कब्रिस्तान होने से इंकार किया है तथा विवादित भूमि के 400 वर्गगज मुरब्बा क्षेत्र में कुछ कच्ची–पक्की कब्रें होने का कथन किया है व विवादित भूमि के एक अंश में यज्ञशाला व अन्य निर्माण किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है तथा यह भी कथन किया है कि उस समय की संयुक्त प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 25.11.1920 व दूसरी विज्ञप्ति दिनांकित 27.12.1920 के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को 'लाखा मण्डप' मानकर प्राचीन पुरातत्व घोषित कर दिया गया है तथा विज्ञप्ति नंबर 526 RS (1) दिनांकित 21.05.1959 द्वारा 30 बीघे रकबे को अंतर्गत धारा–6 भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन घोषित कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध वादी द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर 150क में कथन किया गया है कि यू०पी० राज्य या केन्द्र सरकार ने या उनके किसी कर्मचारी/मुलाजिम की तरफ से वादी की जानकारी में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे उनको इस मुकदमें में शामिल किया जाना जरूरी हो।

28. वादी द्वारा वादपत्र में शाहने वक्त (बादशाह) द्वारा टीले व आस–पास की भूमि को वक्फ किया जाना कहा है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस बादशाह द्वारा व किस वर्ष /फसली वर्ष में व किस आदेश द्वारा वक्फ किया गया था। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–2 में नकल खतौनी 1276 फसली प्रस्तुत की गयी है, जिसमें खसरा नंबर 944 रकबा 44 बीघा, 12 बिस्वांसी माल वक्फ टीला मकदूम शाह विलायत उल्लेखित है। इसी प्रकार प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 में भी रकबा 44 बीघा, 12 बिस्वांसी उल्लेखित है। प्रदर्श–6 नकल इंतखाब खतौनी मौजा बरनावा, 1303 फसली में खसरा नंबर 2679, माल वक्फ मुतालिक पट्टी गौरियान, रकबा 40 बीघा, 6 बिस्वा उल्लेखित है व प्रदर्श–7 में भी रकबा 40 बीघा, 6 बिस्वा उल्लेखित है। प्रदर्श–9 नकल इंतखाब खतौनी 1343 फसली खसरा नंबर 2950ज का रकबा 36–6–8 तथा प्रदर्श–10 का रकबा 40–1–8 उल्लेखित है। इसी प्रकार प्रदर्श–11 इंतखाब खसरा 1343 फसली खेवट नंबर 120 पुराना नंबर 2679/1 मि०, नया नंबर 2950ज रकबा 36–8–6 उल्लेखित है।

29. इस प्रकार प्रदर्श–2 में माल वक्फ मुतालिक पट्टी गौरियान का रकबा 44 बीघा 12 बिस्वांसी तथा प्रदर्श–11 में खसरा संख्या 2950ज का रकबा 36–8–6 उल्लेखित है। वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि बादशाह द्वारा टीले व आस–पास की भूमि को वक्फ कर दिया गया था तो 1276 फसली वर्ष में रकबा 44 बीघे 12 बिस्वांसी के रूप में दर्ज माल वक्फ मुतालिक पट्टी गौरियान का लगभग 7 बीघा शेष रकबा 1343 फसली वर्ष के पश्चात कहां स्थित है। वादी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि

44 बीघा 12 बिस्वांसी रकबा वक्फ मुतालिक पट्टी गौरियान था तो उक्त रकबा किस आधार पर व क्यों कम हो गया तथा रकबा कम किये जाने के संबंध में वादी की ओर से क्या आपत्ति/कार्यवाही की गयी।

30. वादी द्वारा वादपत्र में विवादित भूमि सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, यू०पी० लखनऊ में बतौर वक्फ दर्ज व रजिस्टर होना कहा है। वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या–204ग में वक्फ नंबर 583, मेरठ दिनांक 30.09.1964 को अंतर्गत धारा–29 उ०प्र० मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 में दर्ज होना उल्लेखित है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वक्फ नंबर 583 के पंजीकरण की तिथि स्वयं वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 191ग में वर्णित पत्र दिनांकित 27.06.1964 के पश्चात की है।

31. वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट, 1960 [अग्रेतर 'अधिनियम, 1960'] की धारा–4 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वक्फ नंबर 583 मेरठ के सर्वेक्षण हेतु शासकीय राजपत्र में कमिश्नर की नियुक्ति कब की थी, न ही वादी द्वारा यह स्पष्ट किया है कि उक्त अधिनियम की धारा–6(2) के अनुसार कमिश्नर द्वारा वक्फ नंबर 583 की जांच कब की गयी व कब राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 1960 की धारा–6(4) के अनुसार वक्फ नंबर 583 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया।

32. वादी द्वारा अधिनियम, 1960 की धारा–30 के अनुसार सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, यू०पी० लखनऊ द्वारा संरक्षित वक्फ की पंजिका प्रस्तुत कर वक्फ नंबर 583 के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही वादी द्वारा पत्रावली पर ऐसे कोई कारण का उल्लेख किया गया है कि उसके द्वारा किन परिस्थितियों में धारा–30 के अंतर्गत संरक्षित वक्फ पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–114(छ) के अनुसार यह उपधारित किया जा सकता है कि यदि धारा–30 के अंतर्गत वक्फ बोर्ड द्वारा संरक्षित पंजिका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती तो वह वादी अथवा वक्फ नंबर 583 के अनुकूल न होती।

33. वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में माननीय न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्थाए पत्रावली पर दाखिल की हैं, जिनका ससम्मान परिशीलन कियाः–

34.1 **I.** *SYED MOHD. SALIE LABBAI (DEAD) VS. MOHD. HANIFA (DEAD) [1976 4 S.C.C. 780]*

34.2 इस मामले में सय्यद सुलतान मकदूम साहब व कैदबार साहब द्वारा विवादित भूमि विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गयी थी। जबकि वर्तमान वाद में वादी द्वारा शाहने वक्त द्वारा विवादित भूमि को वक्फ कर दिया जाना अभिकथित किया है। उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न है।

35. **II.** *SAYED ALI JASEER AND OTHERS VS. SHAFI AND OTHERS [1981 ALL. L. J. 669].*

35.1 इस मामले में वादी/अपीलकर्ता विवादित संपत्ति के स्वामी थे व कब्र का निर्माण विवादित भूमि में उनके पूर्वजो द्वारा किया जाना कहा गया है। जबकि वर्तमान वाद में वादी द्वारा शाहने वक्त द्वारा विवादित भूमि को वक्फ कर दिया जाना अभिकथित किया है। उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न है।

36. III. *ALL MUSLIM RESIDENTS AT RANIKHET CANTONMENT, RANIKHET VS. MATHURA NATH (DEAD) Through L.Rs. And others [2008 (104) RD 180] (UTTARAKHAND).*

36.1 इस विधि व्यवस्था के पैरा–9 में यह अभिनिर्धारित है कि वक्फ का सृजन मान्यता प्राप्त लोक उपयोग द्वारा भी किया जा सकता है। जबकि वर्तमान वाद में वादी द्वारा शाहने वक्त द्वारा विवादित भूमि को वक्फ कर दिया जाना व सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में बतौर वक्फ दर्ज व रजिस्टर्ड होना अभिकथित किया है।

37. IV. *MOHAMMAD MAHMUDUL HAQ (DEAD) VS. SMT. RAM RATI @ JAMUNI (DEAD) by L.Rs. And others [2013 (120) RD 180] (ALLAHABAD).*

37.1 इस विधि व्यवस्था में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि यदि कब्रिस्तान की है तो कब्रिस्तान की रहेगी और कुछ व्यक्तियों द्वारा इसके कुछ भाग में कृषि किये जाने से उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। जबकि वर्तमान वाद में वाद दायर करने के पूर्व ही विवादित भूमि 3377/2 में वन विभाग तथा प्रदर्श क–10 के अनुसार दिनांक 14.01.1970 को गाँधी धाम समिति के कब्जे की प्रविष्टि अंकित हो चुकी थी।

38. V. *BRAHMA DEO TRIPATHI VS. VICE CHANCELLOR SAMPURNANAND SANSKRIT VISHWA VIDHYALAYA, VARANASI AND ANOTHER [1988 ALL. L.J. 355].*

38.1 इस विधि व्यवस्था में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जो व्यक्ति वाद में पक्षकार नहीं है उसपर डिक्री बाध्यकारी नहीं होती।

39. VI. *PEAREY LAL VS. DY. DIRECTOR OF CONSOLIDATION, BULANDSHAHR AND OTHERS [2007 (103) RD 388] (ALLAHABAD).*

39.1 इस विधि व्यवस्था में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिविल वाद में अंकित निष्कर्ष उसके पक्षकारो के अतिरिक्त अन्य पर बाध्यकारी नहीं होते।

40. VII. *SONI DINESH BHAI MANILAL AND OTHERS VS. JAGJIVAN MULCHAND CHOKSHI [2008 (104) RD 299].*

40.1 इस विधि व्यवस्था में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आयुक्त आख्या अभिलेख का भाग है तथा साक्ष्य के रूप में पढी जा सकेगी।

41. VIII. *THE STATE OF U.P. VS. MAHANT AVAIDH NATH [AIR 1977 ALLAHABAD 182].*

41.1 इस विधि व्यवस्था में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वन अधिनियम, 1927 की धारा–20 के अंतर्गत नोटिफिकेशन प्रकाशित होने से पूर्व वन बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष धारा –6 के अंतर्गत विहित सीमा में दावा न किये जाने का पर्याप्त कारण दर्शित करते हुए आपत्ति की जा सकेगी। जबकि वर्तमान वाद में वादी द्वारा यह उल्लेखित नहीं किया गया है कि उसके द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष कब आपत्ति की व धारा–20 का नोटिफिकेशन कब हुआ।

42. IX. *JAGANNATH SINGH VS. D.D.C. AND OTHERS (WRIT PETITION NO.1469 OF*

1979).

42.1 इस विधि व्यवस्था में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वन अधिनियम, 1927 की धारा–20 में नोटिफिकेशन से पूर्व भूमि राज्य में निहित नहीं हो सकती। जबकि वर्तमान वाद में राज्य सरकार उ०प्र० को पक्ष नहीं बनाया गया है तथा प्रति उत्तर 150क में कथन किया गया है कि यू०पी० राज्य या केन्द्र सरकार ने या उनके किसी कर्मचारी/मुलाजिम की तरफ से वादी की जानकारी में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे उनको इस मुकदमें में शामिल किया जाना जरूरी हो।

43. X. *(DR.) CHANDRA MOHAN SINGHAL AND OTHERS VS. STATE OF U.P. IN REVENUE DEPARTMENT [2002 (93) R.D. 829] (ALLAHABAD).*

43.1 इस विधि व्यवस्था में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि द्वितीय अपील के लंबन की स्थिति में कलेक्टर हमीरपुर द्वारा राजस्व प्रविष्टियाँ परिवर्तित की गयी थी, जिसमें स्वामी व जमींदार पक्षकार नहीं बनाए गये थे, जिससे कि उक्त विधि व्यवस्था के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न है।

44. पत्रावली पर संलग्न आयुक्त आख्या 25ग2 में आयुक्त महोदय द्वारा कमीशन के वक्त संपूर्ण टीला प्राचीन व टूटे हुए मिट्टी के पात्र के अवशेष व विशेष प्रकार की मिट्टी से बना होना अभिकथित किया है, जिसे प्रतिवादीगण द्वारा कमीशन के वक्त लाखा मण्डप कहा गया है व टीले को महाभारत कालीन प्राचीन अवशेष कहा गया। कमिश्नर द्वारा टीले की सतह विशेष प्रकृति के मिट्टी के पात्र व बहुत प्राचीन कंक्रीट के ईंट से बनी होना अभिकथित किया है व टूटे हुए मिट्टी के मटके में मानव हाथ की 3" x 2" की मानव कलाई की अस्थि व अन्य स्थान से 2" x 2" की मानव अस्थि प्राप्त होना उल्लेखित किया है, परन्तु उक्त अस्थियों की वादी द्वारा न तो कार्बन डेटिंग कराई गयी न ही अन्य किसी वैज्ञानिक विधि द्वारा उक्त अस्थियों की आयु ज्ञात करने का प्रयत्न किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा टीले के उत्तरी ओर पक्की व प्राचीन कब्र स्थित होना उल्लेखित किया गया, जिसे वादी द्वारा कमीशन के समय मकदूम शाह विलायत की दरगाह होना कहा। आयुक्त आख्या में विवादित स्थल के उत्तरी ओर एक प्लेटफॉर्म होना व उक्त प्लेटफॉर्म के बहुत बड़ी व प्राचीन उत्तरी छोर से किले जैसी दीवार टीले के नीचे से लेकर ऊपर तक उसके सहयोग हेतु होना उल्लेखित है व उक्त प्लेटफॉर्म पर कोई निर्माण न होना उल्लेखित है, जिससे संलग्न सीढ़ियां समय के साथ ढहना उल्लेखित किया है। आयुक्त आख्या के साथ संलग्न मानचित्र में तावीज के गायब होने के निशान संख्या 1 से 8 तक दर्शित किये गये हैं, जिनकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण थी। आयुक्त महोदय द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि ऐसे ही निशान मौके पर और मौजूद थे, जिनकी लम्बाई उत्तर–दक्षिण न होकर अन्य दिशा में थी। आयुक्त आख्या में विवादित भूमि पर हवन कुण्ड, महात्मा गांधी की मूर्ति, श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वार व आश्रम इत्यादि निर्मित होना वर्णित किया गया है। टीले के दक्षिणी भाग को भी विशेष प्रकृति का होना आयुक्त महोदय द्वारा उल्लेखित किया गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भाग को सर्वेक्षण महत्व का होना कहा गया है।

45. यहां पर यह उल्लेखनीय है कि सर्वे कमीशन रिपोर्ट एक विशेषज्ञ साक्ष्य की श्रेणी में आती है , जिसके संदर्भ में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विशेषज्ञ साक्ष्य, निश्चायक साक्ष्य नहीं होते, बल्कि सम्पोषक साक्ष्य की श्रेणी में आते है, जिनके साक्षिक मूल्य को अन्य मजबूत साक्ष्यों के साथ पढने पर ही

आंका जा सकता है। इसके अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 नियम 10(2) के अनुसार कमिश्नर द्वारा दी गयी आयुक्त आख्या साक्ष्य होगी व पत्रावली का भाग होगी।

46. वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी०डब्लू० 1 मुकीम खां स्वयं मूल वादी द्वारा विवादित जगह पर 600 साल पुराना मकदूम शाह विलायत का मजार होना तथा सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होना तथा उसका मुतवल्ली होना कहा है, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कथन नहीं किया गया कि वक्फ नंबर 583 हेतु वक्फ बोर्ड द्वारा धारा-30, अधिनियम, 1960 में संरक्षित पंजिका क्यों नहीं प्रस्तुत की गयी। न ही इस साक्षी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 1920 में उसके द्वारा अधिसूचना दिनांकित 27.11.1920 के विरूद्ध क्या आपत्ति की गयी थी। पी०डब्लू० 1 द्वारा अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि झगडेवाली जमीन में सैकड़ो मुर्दे दफनाने में उसके द्वारा शिरकत की गयी, परन्तु उसके द्वारा कहीं यह उल्लेखित नहीं किया गया कि उसके खानदानी बुजुर्ग की झगडेवाली जगह में कोई पक्की कब्र क्यों नहीं बनायी गयी।

47. वादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी पी०डब्लू० 2, मजहर अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में विवादित जमीन के कोने-कोने में कब्रें होने का कथन किया है। जोकि पत्रावली पर संलग्न आयुक्त आख्या व मानचित्र 25ग2 के अनुसार सही प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में विवादित जमीन के 20-25 बीघे में खेती होने का कथन तथा अन्य तामीरात 6-7 जगह बने होने का कथन किया है।

48. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिलेख प्रदर्श क-1, नकल खसरा 1303 फसली में पुराना नंबर 944 नया नंबर 2679 रकबा 40 बीघा 6 बिस्वा उल्लेखित है। प्रदर्श क-2, नकल इश्तहार दिनांकित 16.07.1964 में अधिसूचना संख्या MRT (GL)-UP/64-5692 dated 27.06.1964 के आधार पर फैसला दिनांकित 04.03.1965 के द्वारा खसरा नंबर 3377 रकबा 6-7-8 लाखा मण्डप दर्ज किया जाना तथा उक्त के विरूद्ध आपत्ति दिनांक 31.07.1964 तक प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना उल्लेखित है। प्रदर्श क-3, तामील इश्तहार दिनांक 16.07.1964 सरे आम चस्पा किया जाना तथा सार्वजनिक को पढकर सुनाना उल्लेखित है। प्रदर्श क-4, नकल इश्तहार नंबर 85 तहसील सरधना दिनांकित 18.12.1964 में विवरण भूमि 3377 मि० रकबा 6-7-8 दरगाह के बजाए लाखा मण्डप अंकित किये जाने के संबंध में दिनांक 27.12.1964 तक आपत्ति आहूत किया जाना उल्लेखित है। प्रदर्श क-5, तामील रिपोर्ट इश्तहार तथा प्रदर्श क-6, एस०डी०ओ० के निर्णय दिनांकित 04.03.1965 में, तहसीलदार की आख्या दिनांकित 15.12.1965 (53ग) के आधार पर राजस्व कागजात में सही प्रविष्टि किये जाने का आदेश उल्लेखित है। प्रदर्श क-7, नकल खतौनी खसरा नंबर 3377 परगनाधीश के आदेश दिनांकित 04.03.1965 के अनुसार खसरा नंबर 3377 रकबा 6-7-8 दरगाह के बजाए लाखा मण्डप दर्ज किया जाना उल्लेखित है। प्रदर्श क-8, नकल खसरा ग्राम बरनावा 1395 फसली, खसरा नंबर 3377/2 रकबा 30 बीघा वन विभाग दर्ज होना व प्रदर्श क-9, नकल खतौनी ग्राम बरनावा खसरा नंबर 3377/1 रकबा 6-7-8 लाखा मण्डप दर्ज होना उल्लेखित है। प्रदर्श क-10 नकल खसरा ग्राम बरनावा खसरा नंबर 3377/2, वन विभाग में कब्जा गाँधी धाम समिति बरनावा दर्ज किये जाने की प्रविष्टि

दिनांकित 14.01.1970 अंकित है। प्रदर्श क–11, गाँधी धाम समिति के विरूद्ध वाद संख्या 307/1968 की कार्यवाही समाप्त होना उल्लेखित है।

49. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी डी०डब्लू० 1 ओ०पी० कपूर ने कागज संख्या 258 ग 1/2 में पीली लाइन से घिरी हुई भूमि को सर्वेक्षण का रकबा 6–7–8 दिखाना तथा प्रस्तावित संरक्षित रकबा 20 बीघा दिखाना वर्णित किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कागज संख्या 258 ग 1/2 में पीली लाइन से रकबा 6–7–8 में संरक्षित पुरातत्व स्थल दर्शित किया गया है।

50. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी डी०डब्लू० 2 जो कि ग्राम बरनावा का लेखपाल रह चुका है उससे जिरह में वादी द्वारा कागज संख्या 139 ग 2 के संबंध में प्रश्न किया गया, फोटोग्राफ 139 ग धारा–60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य न होने के कारण, न्यायालय द्वारा उक्त फोटोग्राफ 139 ग के आधार पर जिरह की अनुज्ञा नहीं प्रदान की। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा जिरह में प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4 प्रदर्श क–5 के संबंध में प्रश्न किये गये, परन्तु स्वयं वादी द्वारा दाखिल विधि व्यवस्था ब्रहमदेव त्रिपाठी (उपरोक्त) व पियारे लाल (उपरोक्त) के अनुसार बिना उ०प्र० राज्य को पक्ष मुकदमा बनाए उक्त प्रदर्श की वैधानिकता के संबंध में आक्षेप सुसंगत प्रतीत नहीं होते क्योंकि उ०प्र० राज्य के वाद में पक्ष न होने के कारण इस वाद में दिये गये निष्कर्ष, उ०प्र० राज्य पर आबद्धकारी नहीं होंगे।

51. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षी डी०डब्लू० 3 व डी०डब्लू० 4 का साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।

52. प्रतिवादी की प्रस्तुत मौखिक साक्षी डी०डब्लू० 5, डी०डब्लू० 6, डी०डब्लू० 7 व डी०डब्लू० 8 ने मुख्यतया विवादित भूमि में यज्ञशाला, गउशाला, छात्रावास व संस्कृत महाविद्यालय निर्मित किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है।

53. वादी द्वारा वादपत्र में कागजात माल में दरगाह के बजाए 6–7–8 रकबे को लाखा मण्डप दर्ज किया जाना तथा उक्त इंद्राज के विरूद्ध अपील किया जाना कहा है, जिस संबंध में प्रदर्श–1 नकल निगरानी संख्या–41/1970 मुकीम खां बनाम उ०प्र० राज्य, विरूद्ध आदेश दिनांकित 04.07.1965 पत्रावली पर दाखिल किया है तथा कागज संख्या 189 ग में निगरानी संख्या–41/1970 में अवर आयुक्त, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19/20 जुलाई, 1973 द्वारा उक्त निगरानी आयुक्त, मेरठ को अग्रसारित किया जाना उल्लेखित है। वादी द्वारा पत्रावली में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा कागज संख्या 189 ग में उल्लेखित आदेश के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी।

54. वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 190 ग में A.S.I. (North Western Circle, 2 rest camp, Dehradun) का पत्र संख्या M.R.T.–5–U.P./64,7883 dated August 02, 1964 प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यालय पत्र संख्या MRT (GL)–UP/64–5692 dated 27.06.1964 के अनुसार प्राचीन टीले का लाखा मण्डप के रूप में संदर्भ उल्लेखित है।

55. वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 191 ग में अधीक्षक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तर–पक्षिमी वृत, देहरादून के पत्र संख्या MRT (GL)–UP/64–5692 dated 27.06.1964 की प्रति प्रस्तुत की

गयी है, जिसमें लाखा मण्डप के रूप में वर्णित प्राचीन टीला जोकि बरनावा, जिला मेरठ में स्थित है, को अधिसूचना संख्या UP,1669/1133–M–dated 27.12.1920 द्वारा केन्द्रीय संरक्षित पुरातत्व स्थल उल्लेखित किया जाना वर्णित है। यहां पर यह उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कागज संख्या 256ग में अधिसूचना संख्या UP,1669/1133–M–dated 27.12.1920 द्वारा प्राचीन पुरातत्व संरक्षण अधिनियम की धारा–3(3) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र में प्रविष्टि संख्या 15 पर "15. A little Mound to the south of the town called Lakha Mandap is supposed to be scene of the attempt to burn the Pandavas, situated Barnawa, 19 Miles N.W. from Meerut in Tehsil Sardhana." उल्लेखित है।

56. उक्त शासकीय राजपत्र अधिसूचना संख्या 1465M/1133, dated 25.11.1920 published at pages 1911–1924 of Part I of United province Gazette, dated 27.11.1920 के अनुसार लाखा मण्डप को प्राचीन पुरातत्व घोषित किये जाने के संबंध में आपत्ति एक माह में प्रस्तुत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 25.11.1920 को जारी की गयी है।

57. यहाँ पर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का VII) का उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसके अनुसारः–

*"**3. Protected monuments.–(1)** The Central Government] may, by notification in the Official Gazette, declare an an ancient ar monument to be monument within the meaning of this Act. protected*

(2) A copy of every notification published under sub–section (1) shall be fixed up in a conspicuous place on or near the monument, together with an intimation that any objections to the issue of the notification received by Central Government] within one month from the date when it is so fixed up will be taken into consideration.

(3) On the expiry of the said period of one month, the [Central Government], after considering the objections, if any, shall confirm or withdraw the notification.

(4) A notification published under this section shall, unless and until it is withdrawn, be conclusive evidence of the fact that the monument to which it relates is an ancient monument within the meaning of this Act."

58. वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि विवादित भूमि वर्ष 1920 में कब्रिस्तान या वक्फ थी तो उसके द्वारा या वक्फ के मुतवल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांकित 25.11.1920 के विरूद्ध क्या आपत्ति की गयी।

59. वादी द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्राचीन पुरातत्व संरक्षण अधिनियम, 1904, *प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958* के प्रवृत्त होने के पश्चात प्रभावी नहीं है। इस संबंध में भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 372 का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जिसके अनुसारः–

60. *"372. **मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन–***

(1) अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमों के इस संविधान द्वारा निरसन के बावजूद, लेकिन इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में लागू सभी कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित या निरस्त या संशोधित।

(2) भारत के क्षेत्र में लागू किसी भी कानून के प्रावधानों को इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के उद्देश्य से, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे कानून में ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकते हैं, चाहे निरसन या संशोधन के माध्यम से। , जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो सकता है, और यह प्रावधान करता है कि कानून, आदेश में निर्दिष्ट तारीख से, इस प्रकार किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन प्रभावी होगा, और ऐसे किसी भी अनुकूलन या संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। कानून का न्यायालय।

(3) खंड (2) में कुछ भी नहीं समझा जाएगा–

(ए) इस संविधान के प्रारंभ से 1 [तीन वर्ष] की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति को किसी भी कानून में कोई भी अनुकूलन या संशोधन करने का अधिकार देना; या

***(बी)** किसी भी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को उक्त खंड के तहत राष्ट्रपति द्वारा अनुकूलित या संशोधित किसी भी कानून को निरस्त करने या संशोधित करने से रोकना।*

***स्पष्टीकरण I–** इस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति "प्रवृत्त कानून" में इसके प्रारंभ होने से पहले भारत के क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाया गया कानून शामिल होगा। संविधान और इसे पहले निरस्त नहीं किया गया है, भले ही यह या इसके कुछ हिस्से तब बिल्कुल भी या विशेष क्षेत्रों में लागू न हों।*

***स्पष्टीकरण II–** भारत के क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या बनाया गया कोई भी कानून, जिसका इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के क्षेत्र में प्रभाव के साथ–साथ अतिरिक्त–क्षेत्रीय प्रभाव भी था, ऐसे किसी भी अनुकूलन के अधीन होगा। और जैसा कि ऊपर कहा गया है, संशोधनों का ऐसा अतिरिक्त–क्षेत्रीय प्रभाव जारी रहेगा।*

***स्पष्टीकरण III–** इस अनुच्छेद में किसी भी चीज़ को किसी भी अस्थायी कानून को उसकी समाप्ति के लिए निर्धारित तिथि से परे या उस तिथि से परे जारी रखने के रूप में नहीं माना जाएगा जिस दिन यह संविधान लागू नहीं हुआ होता तो यह समाप्त हो जाता।*

***स्पष्टीकरण IV–** भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 88 के तहत एक प्रांत के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित और इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू एक अध्यादेश, जब तक कि संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा पहले वापस नहीं लिया जाता, समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 382 के खंड (1) के तहत कार्य करने वाले उस राज्य की विधान सभा के ऐसे प्रारंभ के बाद पहली बैठक से छह सप्ताह की समाप्ति पर कार्य करें, और इस लेख में कुछ भी ऐसे किसी भी अध्यादेश को उक्त अवधि से परे लागू रखने के रूप में नहीं माना जाएगा।"*

61. इसके अतिरिक्त यहाँ पर *प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (अग्रेतर 'अधिनियम, 1958') की धारा–39(2) का उल्लेख करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसके अनुसारः–*

*"**39.(2)** The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904), shall cease to have effect in relation to ancient and historical monuments and archaeological sites and remains declared by or under this Act to be of national importance, except as respects things done or omitted to be done before the commencement of this Act."*

62. उक्त धारा में यह उल्लेखित है कि जिन प्राचीन व ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल पर अधिनियम , 1958 लागू होता है, उनपर प्राचीन पुरातत्व संरक्षण अधिनियम, 1904 का अधिनियम लागू नहीं होगा। वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह परिलक्षित होता हो कि अधिसूचना संख्याUP,1669/1133–M–dated 27.12.1920 में वर्णित पुरातत्व स्थल (लाखा मण्डप) पर 1958 का अधिनियम लागू होगा।

63. वर्णित परिस्थितियों में अधिसूचना संख्याUP,1669/1133–M–dated 27.12.1920 व उक्त अधिसूचना में वर्णित "15. A little Mound to the south of the town called Lakha Mandap is supposed to be scene of the attempt to burn the Pandavas, situated Barnawa, 19 Miles N.W. from Meerut in Tehsil Sardhana." प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा–3(4) के अंतर्गत निश्चायक साक्ष्य के रूप में है।

64. प्रतिवादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 763ग में नकल छः वार्षिक खतौनी 1388 ता 1391 फसली में चकबन्दी अधिकारी बिनौली वाद संख्या 4281/04.10.1988 को गाटा संख्या 3377 के संबंध में आपत्ति अदम पैरवी में निरस्त किया जाना उल्लेखित है। कागज संख्या 764क, नकल आकार पत्र 2क, में गाटा संख्या 3377/1 लाखा मण्डप तथा 3377/2 वन विभाग दर्ज होना उल्लेखित है। वर्तमान में गाटा संख्या 3377/1 लाखा मण्डप तथा 3377/2 वन विभाग दर्ज होना निर्विवादित तथ्य है।

65. वादी द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था THE STATE OF U.P. VS. MAHANT AVAIDH NATH (उपरोक्त) व JAGANNATH SINGH VS. D.D.C. AND OTHERS (उपरोक्त) में वन अधिनियम की धारा–20 से पूर्व आपत्ति का अवसर उपलब्ध होने तथा भूमि राज्य सरकार में निहित न होना उल्लेखित है, परन्तु वर्तमान मामले में वादी द्वारा प्रति उत्तर 150क में कथन किया गया है कि यू०पी० राज्य या केन्द्र सरकार ने या उनके किसी कर्मचारी/मुलाजिम की तरफ से वादी की जानकारी में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे उनको इस मुकदमें में शामिल किया जाना जरूरी हो जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादपत्र में विज्ञप्ति नंबर 526 RS (1) दिनांकित 21.05.1959 द्वारा 30 बीघे रकबे को अंतर्गत धारा–6 भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन घोषित कर दिया जाना उल्लेखित किया गया था। इसके

अतिरिक्त वादी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसके द्वारा विज्ञप्ति नंबर 526 RS (1) दिनांकित 21.05.1959 के विरूद्ध वन अधिनियम की धारा–9 में या धारा–6 में क्या आपत्ति की गयी है।

66. यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय की अद्यतन अधोलिखित विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जिसके अनुसारः–

"Prabhagiya Van Adhikari Awadh Van Prabhag Versus Arun Kumar Bhardwaj (Dead) Thr. LRs. and Others 2021 SCC OnLine SC 868 के प्रस्तर 4 व 5 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

***4.** The provisions of the Abolition Act, as are relevant for the purpose of the present appeal, read thus:—*

"4. Vesting of estates in the State. – (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government may, by notification, declare that, as from a date to be specified, all estates situate in Uttar Pradesh shall vest in the State and as from the beginning of the date so specified (hereinafter called the date of vesting), all such estates shall stand transferred to and vest, except as hereinafter provided, in the State free from all encumbrances.

(2) It shall be lawful for the State Government, if it so considers necessary, to issue, from time to time, the notification referred to in sub–section (1) in respect only of such area or areas as may be specified and all the provisions of sub–section (1) shall be applicable to and in the case of every such notification.

5. Notification to be published in the Gazette. – The notification referred to in Section 4 shall be published in the Gazette and such publication shall be conclusive proof of the due publication thereof.

6. Consequences of the vesting of an estate in the State. –When the notification under Section 4 has been published in the Gazette, then, notwithstanding anything contained in any contract or document or in any other law for the time being in force and save as otherwise provided in this Act, the consequences as hereinafter set forth shall, from the beginning of the date of vesting, ensure in the area to which the notification relates, namely:

(a) all rights, title and interest of all the intermediaries—

(i) in every estate in such area including land (cultivable or barren), groveland, forests whether within or outside village boundaries, trees (other than trees in village abadi, holding or grove), fisheries, tanks, ponds, waterchannels, ferries, pathways, abadi sites, hats, bazars and melas [other than hats, bazars and melas held upon land to which clauses (a) to (c) of sub-section (1) of Section 18 apply], and

(ii) in all sub-soil in such estates including rights, if any, in mines and minerals, whether being worked or not, shall cease and be vested in the State of Uttar Pradesh free from all encumbrances;

xxxxxxxxx"

5. *It is thus contended that in terms of Section 4 of the Abolition Act, all rights, title and interest of all intermediaries including the forest had vested in the State of Uttar Pradesh. In terms of Section 117 of the Abolition Act, the land of the forest can vest in the Gaon Sabha or any other local authority by a general or special order of the Government. Section 117 of the Abolition Act reads as:*

"117. Vesting of certain lands etc., in Gaon Sabhas and other local authorities.- 1) At any time after the publication of the notification referred to in Section 4, the State Government may, by general or special orders to be published in the manner prescribed declare that as from a date to be specified in this behalf, all or any of the following things, namely:

(i) *lands, whether cultivable or otherwise, except lands for the time being comprised in any holding or grove;*

(ii) *forests;*

(iii) *trees, other than trees in a holding or on the boundary of a holding or in grove or a abadi;*

(iv) *fisheries;*

(v) *hats, bazars and melas except hats, bazars and melas held on lands to which the provisions of Clauses (a) to (c) of sub-section (1) of Section 18 apply or on sites and areas referred to Section 9; and*

(vi) tanks, ponds, private ferries, water channels, pathways and abadi sites,– which had vested in the State under this Act shall vest in the Gaon Sabhas or any other local authority established for the whole or part of the village in which the said things are situate, or party in one such local authority (including a Gaon Sabha) partly in another:

Provided that it shall be lawful for the State Government to make the declaration aforesaid subject to such exceptions and conditions as may be specified in such order."

67. इस प्रकार उपरोक्त समस्त अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्यों व विधि व्यवस्थाओं के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन संयुक्त प्रदेश सरकार की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांकित 27.12.1920 के अनुसार प्राचीन पुरातत्व संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा–3(3) के अनुसार मेरठ से 19 मील उत्तर–पश्चिम में स्थित टीले को लाखा मण्डप प्राचीन पुरातत्व के रूप में घोषित किया गया था, जिसके पश्चात एस०डी०ओ० सरधना के आदेश दिनांकित 04.03.1965 के अनुक्रम में विवादित खसरा संख्या 3377/1 लाखा मण्डप दर्ज किया गया तथा विवादित खसरा संख्या 3377/2 वन विभाग दर्ज है। हालांकि प्रतिवादीगण द्वारा कुछ 400 वर्गगज रकबे में कब्र होने के तथ्य को स्वीकार किया तथा आयुक्त आख्या 25ग में भी कुछ स्थान पर कब्रें दर्शित की गयी हैं व कुछ तावीजो की लम्बाई उत्तर–दक्षिण न होकर अन्य दिशा में होना उल्लेखित किया है। खसरा संख्या 3377, रकबा 36 बीघे 07 बिस्वे 08 बिस्वांसी के मात्र कुछ स्थान पर कुछ कब्रें स्थित होने के आधार पर संपूर्ण विवादित गाटे को कब्रिस्तान साबित करने में वादी पूर्णतः असफल रहा है। तदैव वाद बिन्दु संख्या–1 वादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

68. वादपत्र में अक्षर ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच से दर्शित स्थान पर निर्माण किये जाने के तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित नहीं किया गया है। स्वीकृत रूप से उक्त अक्षर से दर्शित निर्माण खसरा संख्या 3377/2 वन विभाग की भूमि में स्थित है तथा प्रदर्श क–10 में गाँधी धाम समिति का कब्जा दर्ज किये जाने की प्रविष्टि दिनांकित 14.01.1970 अंकित है। वन विभाग की भूमि में किये गये निर्माण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार वन विभाग व उ०प्र० सरकार को है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागज संख्या 752ग में उल्लेखित डिक्री मूल वाद संख्या 869/1986, गाँधी धाम समिति बनाम उ०प्र० राज्य आदि में पारित आदेश दिनांकित 18.03.1997 में खसरा में खसरा नंबर 3377 क्षेत्रफल 30 बीघे पर स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सव्यय डिक्री किया गया है। तदैव वादी अक्षर ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच से दर्शित स्थान पर निर्माण को हटवा पाने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 वादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

69. कागज संख्या 204ग में वक्फ नंबर 583 के पंजीकरण की तिथि 30.09.1964 होने, जो स्वयं वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 191ग में वर्णित पत्र दिनांकित 27.06.1964 के पश्चात की है तथा

अधिनियम, 1960 की धारा–6(4) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वक्फ नंबर 583 को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना साबित करने में असफल रहने तथा अधिनियम, 1960 की धारा–30 के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ नंबर 583 हेतु संरक्षित पंजिका प्रस्तुत न किये जाने के कारण विवादित खसरा संख्या 3377 को वक्फ साबित करने में वादी पूर्णतः असफल रहा है। तदैव वाद बिन्दु संख्या 7 वादी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

70. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–4** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या वादी को अभिवचनो के पैरा–2 में वर्णित कारणों के आधार पर वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है?"*

71. यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

72. पत्रावली के परिशीलन से विदित हुआ कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.03.1977 द्वारा प्रार्थना पत्र 6 ग 2 स्वीकार करते हुए वादी को प्रतिनिधिक हैसियत में वाद चलाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

73. इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। तदैव वाद बिन्दु संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

74. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–5** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?"*

75. इस वाद बिन्दु का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 22.05.1973 द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का अंश होगा।

76. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–6** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या वाद में आवश्यक पक्षों के असंयोजन का दोष विद्यमान है?"*

77. इस वाद बिन्दु का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 22.05.1973 द्वारा करते हुए वाद में आवश्यक पक्षों के असंयोजन का दोष विद्यमान न होना निर्णीत किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का अंश होगा।

78. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–8** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या न्यायालय के पास इस मुकदमे की सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है?*

79. वादी द्वारा वर्तमान वाद विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध शाश्वत व आज्ञापक व्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। शाश्वत व आज्ञापक व्यादेश के वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है तथा इस वाद की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय को प्राप्त है।

80. यहाँ पर *वक्फ एक्ट, 1995* की *धारा–85* का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता हैः– *"सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन–किसी वक्फ, वक्फ संपत्ति या अन्य मामले से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले की बाबत जिसका इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिकरण द्वारा अवधारित किया जाना अपेक्षित है, किसी सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय और कोई अन्य प्राधिकरण में कोई बाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।"*

81. वक्फ एक्ट, 1995 दिनांक 22.11.1995 से प्रवृत्त हुआ है। वर्तमान वाद दिनांक 01.04.1970 को शाश्वत व आज्ञापक व्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है, जिससे कि वर्तमान वाद उक्त अधिनियम की धारा–85 से बाधित नहीं है।

82. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वर्तमान वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। तदैव वाद बिन्दु संख्या 8 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

83. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–9** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?*

84. वाद बिन्दु संख्या–1,2,3 व 7 के निस्तारण के आधार पर वादी कोई अन्य अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

85. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–10** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या मुकदमा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम–1963 की धारा–34, 39, 41 द्वारा वर्जित है?*

86. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम–1963 की धारा–34 प्रास्थिति या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय के विवेकाधिकार से संबंधित है तथा धारा–39 आज्ञापक व्यादेश द्वारा परिवादित भंग को निवारित किये जाने से संबंधित है व धारा–41 में उन आधारो का वर्णन किया गया है जिनमें व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता।

87. वर्तमान वाद आज्ञापक व शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु संस्थित है। प्रतिवादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि धारा–41 में वर्णित किस आधार द्वारा वर्तमान वाद बाधित है। वर्णित परिस्थितियों में वर्तमान वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम–1963 की धारा–34, 39, 41 द्वारा बाधित प्रतीत नहीं होता है। तदैव यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

88. **निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–11** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या संशोधन के पश्चात वाद अल्पमूल्यांकित है व प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?"*

89. इस वाद बिन्दु का निस्तारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 12.01.2022 द्वारा संशोधन के पश्चात मूल्यांकन व न्यायशुल्क पर्याप्त मानते हुए नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का अंश होगा।

90. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–12</u>** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या वाद विबन्ध (estoppel) के सिद्धांत द्वारा वर्जित है?"*

91. यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनो के आधार पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

92. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–115 विबन्ध को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार *"जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब न तो उसे और उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात का सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा।"*

93. इसके अतिरिक्त विबन्ध का सिद्धांत *Allegans contraria nonest audiendus* पर आधारित है, जिसके अनुसार परस्पर विरोधी बाते करने वाले को नहीं सुना जाना चाहिए।

94. प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन में वादीगण का वाद विबन्ध के सिद्धांत द्वारा वर्जित होने का कथन किया है,परन्तु अपने अभिवचनो के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही बहस के दौरान उक्त वाद बिन्दु पर कोई बल दिया गया।

95. तदैव वाद बिन्दु संख्या 12 प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

96. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–13</u>** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या संशोधित अनुतोष समय बाधित है?*

97. यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनो के आधार पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

98. न्यायालय के आदेश दिनांकित 15.05.1976 द्वारा प्रार्थना पत्र 168 क 20/– रूपये (बीस रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया गया था, जिसके अनुपालन में वादी द्वारा वादपत्र के अनुतोष में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन दौरान वाद बजरिये काश्त व जदीद तामीरात से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने के अनुतोष हेतु किया गया है।

99. प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन में वादीगण का वाद संशोधित अनुतोष समय से बाधित होने का कथन किया है,परन्तु अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

100. वर्णित परिस्थितियों में संशोधित अनुतोष समय बाधित होना परिलक्षित नहीं है। तदैव वाद बिन्दु संख्या–13 प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

101. **<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–14</u>** यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि *"क्या मुकदमा प्रतिवादी संख्या–3 को नियमानुसार पक्षकार न बनाए जाने के कारण, प्रतिवादी संख्या–3 के विरुद्ध पोषणीय है?"*

102. वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को गाँधी धाम समिति लाक्षागृह बरनावा बजरिये छिद्दा सिंह पिसर नामालूम, सेक्रेट्री गाँधी धाम समिति साकिन मौजा हर्राह, तहसील सरधना, जिला मेरठ के रूप में पक्षकार बनाया है। समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा–6 के अनुसार प्रत्येक समिति को उसके प्रेसीडेन्ट, चेयरमैन या प्रधान सचिव या ट्रस्टी द्वारा वाद लाया जा सकेगा या उनके विरूद्ध वाद दायर किया जा सकेगा।

103. चूंकि वर्तमान वाद बजरिये छिद्दा सिंह, सचिव गाँधी धाम समिति के रूप में प्रतिवादी संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया है तथा पत्रावली प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 25.03.1977 से एक पक्षीय रूप से अग्रसारित है। तदैव यह वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

104. उपरोक्त समस्त वाद बिन्दुओं के निस्तारण तथा संभाव्यताओ की प्रचुरता व सुसंगत विधियों के आधार पर वादी वर्तमान वाद साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं, जिससे न्यायालय के अभिमत में वादी का वाद निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

वादी का वाद निरस्त किया जाता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उभयपक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

<u>दिनांकः–फरवरी 05, 2024</u> **(शिवम द्विवेदी)**

सिविल जज (जू०डि०), प्रथम,

बागपत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

<u>दिनांकः–फरवरी 05, 2024</u> **(शिवम द्विवेदी)**

सिविल जज (जू०डि०), प्रथम,

बागपत।

Harsh Y.